न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.
अनुवान परमेश्वरी बनाम गोवर्धन आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955
दावा संख्या 67/2016
निर्णय दिनांक 13/12/24

परमेश्वरी पत्नि रामनिवास पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्महण निवासी वार्ड न0 17 सरदार शहर जिला चूरू
– वादीनी

बनाम

1. गोर्वधन पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बहादुरसिंह कॉलोनी सरदारशहर जिला चूरु (राज)
2. बैंक ऑफ इडिया शाखा सरदारशहर जिला चूरू (राज)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू (राज)

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
(1) श्री भागीरथ सिंद्ध एडवोकेट वास्ते वादीनी।
(2) श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 1
(3) श्री जगदीश प्रसाद माली एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 2
(4) राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी सं. 3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सरदारशहर जिला-चूरू (राज.) *

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 कस्बा सरदार शहर के मूल निवासी है और एक ही समाज से सम्बन्ध रखते है रोही ग्राम उडसर लोडेरा में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख. न. 440/337 तादादी 7.06 बीघा रोही गांव उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर के वादीनी व प्रतिवादी सं.1 संयुक्त खातेदार एवं कब्जा काश्त की स्थित है उस खाते की भूमि वादीनी मुताबिक जमाबन्दी 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादीनी के पिता ओमप्रकाश के नाम से 1/2 हिस्सा कर्षि भूमि दर्ज थी वादीनी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन इन्तकाल सं. 791 दिनांक 2/7/2015 के द्वारा वादीनी के पिता स्व. ओमप्रकाश के कानूनी वारिस ओमप्रकाश की पत्नी मुन्नी देवी व उसकी चार पुत्रियों क्रमशः सरस्वती, परमेश्वरी, विद्योतया (विद्या) व अन्नपूर्णा के नाम कृषि भूमि दर्ज की गई और वादीनी के पिता ओमप्रकाश के कोई पुत्र संतान नहीं थी वादीनी की माता मुन्नी देती व उसकी बहने सरस्वती, विदोतमा व अन्नपूर्णा ने इन्तकाल से 829 दिनाक 5/3/2016 के द्वारा अपना एक परित्याग अपनी पुत्री व बहीनों ने वादीनी के पक्ष कर दिया जि[illegible] इस कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नं. 440/3[illegible] तादादी [illegible] बीघा 6 विश्वा रोही उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर की भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 की [illegible] खातेदारी व कब्जा काश्त की है इस कृषि भूमि की सहखातेदारी के बीच अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है इसलिये [illegible] संयुक्त रहने से काश्त के समय अच्छे व खराब पासे को लेकर सहहिस्सेदारों के बीच विवाद रहता है और झगड़ा होने व मुकदमा बाजी होने की सम्भावना बनी रहती है क्योकि प्राकृतिक उपज लेने एवं काश्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

समय अच्छे व खराब पासे को लेकर मनमुटाव होने लग गया है। वादीनी एक महिला एवं कमजोर वर्ग की होने से प्रतिवादी सं. 1 जो राजनैतिक पहुंच वाला एवं ताकतवर व्यक्ति है उसके पास भू–माफिया लोगों की पूरी टीम है इसलिये प्रतिवादी वादीनी को वादगत कृषि में उसके हिस्से को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त नहीं करने देना चाहता और बिना अधिकार वंचित करना चाहता है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को जरिये डिक्री चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी वादीनी को उसके 1/2 हिस्सा भूमि को काश्त करने से मना नहीं करें और उसमें कोई दखलअंदाजी नही करें। वादीनी अपने नाम की खातेदारी की भूमि जो वादीनी के हिस्सा की है उसने वादीनी मौके पर अलग काश्त करती है परन्तु विधिवत विभाजन हुये बिना वादीनी को प्रतिवादी ताकत के बल पर वादीनी का अपने हिस्सा की कृषि भूमि की काश्त करने पर झगड़ा करते हैं ऐसी स्थिति में वादीनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हिस्से की खातेदारी की कृषि भूमि का न्यायालय के माध्यम से विधिवत विभाजन करवाकर अपना अलग खाता कायम करवाकर अलग ही लगान कायम करवा लेवे। इस समय बरसात हो चुकी है और वादीनी ने अपने 12 हिस्सा भूमि में बाजरी मोठ की फसल काश्त कर रखी है। वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 के यहां मूर्तहीन रहन रखी हुई है परन्तु वादीनी ने प्रतिवादी स. 2 के विरूद्ध दावा में कोई प्रतिकूल अनुतोष की मांग नहीं की है परन्तु उसके हितों पर इस दावा से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिये उनको पक्षकार वाद बनाया गया है।

वादीनी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि खसरा न. 440/337 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा रोही उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिसकी वादीनी 1/2 हिस्सा भूमि की वादीनी संयुक्त हिस्सेदार खातेदार है इस विवादित कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के हिस्से की कृषि भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को वर्जित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि खसरा न. 440/337 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा रोही उड़सर लोडेरा में वादिनी के 1/2 हिस्सा भूमि को काश्त एवं उपयोग–उपभोग में लेने में किसी प्रकार का कोई दखलअंदाजी नहीं करें।

वाद प्रस्तुत होने पर सीगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। पेशी दिनाक 16/09/2016 को वाद नोटिस तामिल प्रतिवादी सं. जो स्वयं अधिवक्ता है उपस्थित आये एवं प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री जगदीश माली उपस्थित आकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसने पश्चात पत्रावली निरन्तर प्रतिवादीगण के जवाब दावा में नियत रही। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर काफी समय एवं विधि अनुसार अवसर प्रदान करने के पश्चात पेशी दिए 17/02/2023 को प्रतिवादीगण का जबाव दावा बंद किया जाकर दावा में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये गये। पत्रावली में पेशी दिनाक 9/12/2024 को न्यायालय के समय वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 दोनो जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये और दावा में पक्षकारान का आपसी राजीनामा होने का कथन करते हुये लिखित राजीनामा मय नजरी नक्शा "क" पेश किया। मुताबिक राजीनामा दावा में वर्णित कृषि भूमि गत खसरा न. 440/337 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा वर्तमान खसरा नम्बर 443 तादादी 1.3500 हैक्टेयर रोही उड़सर लोडेरा में से पश्चिम पासे की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 गोवर्धन के हिस्से में एवं पूर्वी पासे [illegible] 1/2 [illegible] भूमि वादीनी परमेश्वरी के पक्ष में रखी जाकर इसी अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता [illegible] अलग कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे। राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वादीनी के वादकृत अनुतोष एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वाद में वादीनी एवं एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

... के पर मनन किया गया। वाद में वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य खसरा नम्बर 440/339 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा वर्तमान वर्तमान खसरा नम्बर 443 तादादी 1.8500 हैक्टेयर रोही उड़सर लोडेरा के खाता विभाजन को लेकर मुख्य विवाद था जिसके संबंध में वादीनी एवं प्रतिवादी सं.1 ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर चुके है। जिसके आधार पर वादीनी का वाद निर्णित करना उचित समझती हूँ।

आदेश

वर्णित विवेचन एवं पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हुये राजीनामा के आधार पर वाद पत्र का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 440/339 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा वर्तमान खसरा नम्बर 443 तादादी 1.8500 हैक्टेयर रोही उड़सर लोडेरा में राजीनामा, नक्शा एनेक्चर "क" में दर्शाये अनुसार पश्चिम पासे की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 0.9250 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गोवर्धन एवं पूर्वी पासे की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 0.9250 हैक्टेयर भूमि की वादीनी परमेश्वरी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एवं नजरी नक्शा "क" के अनुसार नक्शा तरमीम की जावे तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर "क" निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान परमेश्वरी बनाम गोवर्धन आदि
दावा संख्या 67/2016
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री कालीचरण शर्मा, श्री जगदीश प्रसाद माली, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वर्णित विवेचन एवं पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हुये राजीनामा के आधार पर वाद पत्र का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 440/339 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा वर्तमान खसरा नम्बर 443 तादादी 1.8500 हैक्टेयर रोही उड़सर लोडेरा में राजीनामा, नक्शा एनेक्चर "क" में दर्शाये अनुसार पश्चिम पासे की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 0.9250 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी सं. 1 गोवर्धन एवं पूर्वी पासे की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 0.9250 हैक्टेयर भूमि की वादीनी परमेश्वरी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एवं नजरी नक्शा "क" के अनुसार नक्शा तरमीम की जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर "क" निर्णय का भाग रहेगा।

....

....बीज .... मुबलिग ....

.................बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला-चूरू (राज.)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	03	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	03	00			
मिजान	08	00	मिजान	03	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:35:21 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner